'विवादों का समाधान' पहल के तहत एकमुश्त निपटान योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देने के लिये **'विवादों का समाधान' पहल** के तहत दो नई एकमुश्त निपटान योजनाएँ शुरू कीं।

मुख्य बिंदु:

- ये योजनाएँ **हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC)** की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप और औद्योगिक संपदाओं में प्लॉट की लागत तथा बढ़ी हुई लागत के संबंध में प्लॉट (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय/समूह आवास एवं संस्थागत उपयोग) के खिलाफ संबंधित विरासत मामलों के निपटारे हेतु आवंटन का विकल्प प्रदान करेंगी।
  - इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों के **1,000 से अधिक आवंटियों को लाभ पहुँचाना है।**
- सरकार सोनीपत के बरही शहर में **'फूड पार्क' के आवंटियों** को एक विशेष रियायत दे रही है, जिससे उन्हें भूखंडों के स्वामित्व को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की अनुमति मिल जाएगी।
- यह एकमुश्त निपटान योजना औद्योगिक भूखंडों/शेडों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय या समूह आवास भूखंडों या साइटों के सभी मौजूदा आवंटियों पर लागू है, जिन्हें **1 जनवरी 2021 से पहले भूखंड और साइट आवंटित की गई हैं।**
- **योजना तुरंत लागू होगी** और योजना का लाभ उठाने के लिये आवंटियों को **30 जून, 2024 तक आवेदन करना होगा।**

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम (HSIIDC)

- इसकी **स्थापना वर्ष 1967** में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई थी। यह हरियाणा सरकार के **उद्योग और वाणिज्य विभाग** के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- इसके उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के **औद्योगिक बुनियादी ढाँचे का विकास** और हरियाणा राज्य में **उद्योग के संवर्धन तथा विकास** के लिये आवश्यक आवास एवं संबंधित सामाजिक, संस्थागत, मनोरंजन व वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचे सहित **एकीकृत उद्योग टाउनशिप/पार्क के लिये भूमि का अधिग्रहण करना** तथा उन्हें उपयुक्त रूप से विकसित करना शामिल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-time-settlement-schemes-under-vivadon-ka-samadhan-initiative